

ब न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म०४०

निगरानी २१९९-८-१५



G.F
R. 201-

१०८
१८-६-१५

गुलाब अली तनय हकीक अली ला०महाड़ाड़ी तह०गुढ, जिला
रीवा म०४०

निगरानीकर्ता

चनाम

शान्तीदेवी पति घरंगीषटेलता० छद्दीतह०गुढ, जिला रीवा
म०४०

शान्तनगध्यप्रदेश

निगरानीकर्ता पर्ण

निगरानी घरस्त आदेश श्रीमान् तहसीलदार
ला०तह०गुढ. प्र. प्र. ८३।२/१५. १५ आदेशादिनांक
१०.६. १५.

अंतर्गत धारा ५० म०४०४० राजस्व संहिता १९५९.

मान्यवर,

फॉर्मांक ५४५५
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक..... घोषणा प्राप्त

का

राजस्व विलेयर

निगरानी आवेदन पत्रकेआधार निम्नलिखितहै-

यहाँकि अधी. न्यायालय द्वारापारितांदेश र्वाधिकरण्यकृया
केघराहोनेसे निरस्त किएजाने घोग्यहै।

यहाँकि गैर निगरानीकर्ता । यानी शान्तीदेवी द्वाराग्राम
महाड़ाड़ी स्थितआरा जिला ता०, ३१७ ३१८, ३१९, रक्धा
प्रमाण ०. १२५० ०. २३१, ०. ६५। हे. का लीमांकनदिनांक
७. ६. १५ को लियाँगया किन्तु निगरानीकर्ताकीहन भूमियों

से लगी भूमि उत्तर एवं पश्चिम दिशामें स्थित होनेके बावजूद
निगरानी उत्तर एवं पश्चिम कृजना नदींदीर्घ निगरानीकर्ताकी

अनुरास्थतिमें पट्टारी हल्काकरौंदीद्वारा किएगये रीमांकनको
प्रमाणितकरनेमें अधी. न्याया लिखद्वारा विधिक वृत्तिकी गद्दै है जिससे
अधी. न्यायालयका आदेश निरस्त किएजानेयोग्यहै।

यहाँकि गैर निगरानीकर्ता नेगपतेशीमांकन ग्रावेदनपत्रों

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुबृति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0—R.2199-II/15

जिला—रीवा

गुलाब अली/शान्ति देवी

(1)	(2)	(3)
26.04.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरात उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरात उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p>	 <p>सदस्य</p>